वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड, कोटा

64 वीं वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण		
स्थल	:	कुलपति सचिवालय (मीटिंग हॉल)
दिनांक	:	18 अप्रैल 2022, सोमवार
समय	:	प्रातः 11.15 बजे

V.M.O.U.

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

वित्त समिति की 64 वीं बैठक दिनांक 18 अप्रैल, 2022 को पूर्वान्ह 11:15 बजे कुलपति सचिवालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे:–

1.	प्रो. (डॉ.) रतनलाल गोदारा कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	अध्यक्ष
2.	श्री लोकेन्द्र सिंह, कोषाधिकारी, कोटा प्रतिनिधि, *अतिरिक्त मुख्य सचिव,* वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।	सदस्य
3	डॉ0 फिरोज अख्तर संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा प्रतिनिधि, शासन सचिव (उच्च शिक्षा)	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
4.	डॉ0 जितेन्द्र कुमार शर्मा, निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, वमखुविवि, जयपुर	सदस्य
5.	*प्रो. बी. अरुण कुमार* *निदेशक, क्षैत्रीय सेवाऐं,* *वमखुविवि, कोटा*	सदस्य
6.	डॉ. गोपाल सिंह, से.नि. प्राचार्य, निवास– 4–ज– 27, विज्ञान नगर, कोटा।	सदस्य
7.	श्री महेश चन्द मीणा नियंत्रक, वित्त वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सचिव

V.M.O.U.

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय एवं नियंत्रक (वित्त) ने बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यो का स्वागत किया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियंत्रक (वित्त) एवं सचिव, वित्त समिति ने सदन के समक्ष बिन्दुवार कार्यसूची विवरण प्रस्तुत किया एवं निम्न निर्णय लिए गए :–

बिन्दु संख्या 64/01:– **वित्त समिति की दिनांक 15–01–2022 को सम्पन्न 63वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

–00–

वित्त समिति की दिनांक 15–01–2022 को सम्पन्न 63वीं बैठक के कार्यवाही विवरण से नियंत्रक (वित्त) ने सदन को अवगत कराया एवं इस संदर्भ में किसी भी सदस्य द्वारा कोई प्रतिकुल टिप्पणी प्राप्त नहीं होने से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 64/2 :– **वित्त समिति की 63वीं बैठक दिनांक 15.01.22 में लिये गये निर्णयों की पालना (Action Taken Report) के संबंध में।**

वित्त समिति की 63वीं बैठक दिनांक 15.01.22 में लिये गये निर्णयों की पालना (Action Taken Report) के संबंध में नियंत्रक (वित्त) ने सदन को अवगत कराया। बिन्दु संख्या 63/3 बाबत RGHS योजना लागू करने के के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि RGHS योजना वर्ष 2022–23 में लागू की जानी है। RGHS पॉलिसी अवधि एवं प्रीमियम राशि के संबंध में RGHS से पत्र व्यवहार चल रहा है जिसके संबंध में निर्देश प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

तत्पश्चात् की 63वीं बैठक में लिए गये निर्णयों की पालना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 64/03 :— विश्वविद्यालय में स्थित गाँधी भवन एवं क्षेत्रीय केन्द्र जयपुर पर (प्रबंध मण्डल की बैठक तथा अन्य कार्य हेतु) तकनीकी रूप से अपग्रेड करने हेतु प्रस्ताव ।

(ई.एम.पी.सी. एवं क्षे0के0 जयपुर)

—00—

विश्वविद्यालय में वर्तमान में कोरोना काल के समय मुख्यतः बैठकें, सेमीनार, सिम्पोजियम, प्रजेंटेशन इत्यादि ऑनलाईन मोड़ के माध्यम से संचालित की जा रही है। माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में समय समय पर आयोजित होने वाले ऑनलाईन कार्यकक्रमों एवं आने वाले दीक्षांत समारोह हेतु विश्वविद्यालय स्थित गांधी भवन को तकनीकी रूप से अपग्रेड करके 05 बड़े डिस्प्ले, डिजिटल पोडियम एवं कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को लगाया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य को सम्पादित करने हेतु लगभग 08 लाख रूपये खर्च होने की संभावना है। क्षेत्रीय केन्द्र जयपुर के Conference hall में भी विश्वविद्यालय की वित्त समिति, B.O.M., Academic Council, आदि की बैठकें आयोजित की जाती हैं। Conference hall में सही नेटवर्किंग, बडी एलईडी स्क्रीन, खराब कंप्यूटर सिस्टम एवं अन्य टेक्निकल उपकरणों के अभाव में बैठक के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः Conference hall को हाई–टेक बनाने हेतु सही नेटवर्किंग, बडी एलईडी स्क्रीन, नये कंप्यूटर लगवाया जाना प्रस्तावित है जिस पर 3.30 लाख रू का व्यय होना संभावित है।

इस प्रकार वमखुविवि गाँधी भवन व क्षेत्रीय केन्द्र जयपुर के मीटिंग हॉल को हाई–टेक करने पर कुल लगभग 11.30 लाख रू की व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त कार्य विश्वविद्यालय द्वारा RTPP Act 2012 तथा Rules 2013 के नियमानुसार निविदा प्रकिया के माध्यम से केन्द्रीय क्रय एवं भंडार विभाग से करवाया जाना प्रस्तावित है।

माननीय सदस्य प्रो. गोपाल सिंह ने बताया कि कोविड–19 महामारी के उपरांत हाईब्रिड मीटिंग (ऑफलाईन व ऑनलाईन) प्रारंभ हो चुकी है। विश्वविद्यालय की वैधानिक निकायों में राज्य सरकार के उच्च अधिकारी व राजस्थान से बाहर के सदस्य सम्मिलित है जिनका भौतिक रूप से बैठक मे उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः उक्त तथ्य के मध्यनजर उक्त दोनों मीटिंग हॉल को ऑनलाईन बैठकों के आयोजन हेतु तकनीकी रूप से सुसज्जित किया जाना उचित है।

विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

उक्त कार्य वित्तिय वर्ष 2022–23 में फर्नीचर एवं इक्वीपमेंट बजट मद में किया जायेगा जिसमें 150.00 लाख रू का प्रावधान है।

बिन्दु संख्या 64/04 :– हिन्दी तथा अंग्रेजी टाईपिंग दरों को बढाने का प्रस्ताव।
(संकाय,योजना एवं विकास)

–00–

संकाय,योजना एवं विकास के कार्यालय आदेश के कम में हुई समिति सदस्यो की बैठक 17.11.21 में हिन्दी तथा अंग्रेजी टाईपिंग दरों को बढाये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो निम्नानुसार है। :–

हिन्दी टाईपिंग– 45 रू प्रति पेज

अंग्रेजी टाईपिंग – 35 रू प्रति पेज

माननीय सदस्य प्रो0 बी0 अरूण कुमार ने सदन को अवगत कराया कि वर्तमान में टाईपिंग दरें बाजार दरों की तुलना में काफी कम है अतः टाईपिंग दरों में बढ़ोतरी आवश्यक है।

माननीय सदस्य श्री लोकेन्द्र सिंह ने कहा कि यह कार्य सीमित निविदाओं के माध्यम से भी किया जा सकता है। इस पर प्रो0 बी0 अरूण कुमार ने स्पष्ट किया कि यह कार्य विश्वविद्यालय द्वारा नहीं बल्कि बाहरी विषय विशेषज्ञों द्वारा संपादित किया जाता है। अतः निविदाओं के माध्यम से होना संभव नहीं है।

माननीय सदस्य प्रो0 गोपाल सिंह का भी मत था कि जिस टाईपिंग कार्य में विज्ञान एवं गणित से संबंधित फार्मुलें एवं डायग्राम सम्मिलित हो वहां टाईपिंग कार्य में अत्यंत कठिनाई आती है, इसके लिए अतिकुशल टाईपिस्ट अपेक्षित है एवं कम दरों पर कोई टाईपिंग कार्य हेतु तैयार नहीं होता है।

उक्त चर्चा पश्चात हिन्दी तथा अंग्रेजी टाईपिंग दरों को बढाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 64/5.1 :– स्व. श्री भीखाभाई राजकीय महाविद्यालय, सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में वमखुविवि का अध्ययन केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ :–

(क्षेत्रीय सेवाए प्रभाग)

–00–

माननीय सदस्य प्रो0 बी0 अरूण कुमार ने सदन को अवगत कराया कि नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में नये अध्ययन केन्द्र खोलने के संबंध में कार्यवाही की गई है।

विश्वविद्यालय नियमानुसार गठित निरीक्षण दल की अनुशंसा का माननीय कुलपति महोदय से अनुमोदन उपरान्त नियमानुसार वैधानिक निकायों, यथा वित्त समिति के द्वारा स्व. श्री भीखाभाई राजकीय महाविद्यालय, सागवाडा जिला डूंगरपुर में वमखुविवि का अध्ययन केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया जिस पर वार्षिक खर्च लगभग 90,000/– रू आना सम्भावित है

बिन्दु संख्या 64/5.2 :– महर्षि दयानन्द बालिका विज्ञान पी.जी. महाविद्यालय, झुंझुंनू में वमखुवि का अध्ययन केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ :–

(क्षेत्रीय सेवाए प्रभाग)

–00–

अध्ययन केन्द्र खोले जाने संबंधी विश्वविद्यालय नियमानुसार गठित निरीक्षण दल की अनुशंसा का माननीय कुलपति महोदय से अनुमोदन उपरान्त नियमानुसार वैधानिक निकायों यथा वित्त समिति, के द्वारा महर्षि दयानन्द बालिका विज्ञान पी.जी. महाविद्यालय झुंझुंनू में वमखुविवि का अध्ययन केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया जिस पर वार्षिक खर्च लगभग 90,000/— रू आना सम्भावित है

बिन्दु संख्या 64/5.3 :— राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर में वमखुवि का अध्ययन केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ :—

(क्षेत्रीय सेवाए प्रभाग)

—00—

अध्ययन केन्द्र खोले जाने संबंधी विश्वविद्यालय नियमानुसार गठित निरीक्षण दल की अनुशंसा का माननीय कुलपति महोदय से अनुमोदन उपरान्त नियमानुसार वैधानिक निकायों, यथा वित्त समिति, के द्वारा राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर में वमखुविवि का अध्ययन केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया जिस पर वार्षिक खर्च लगभग 90,000/— रू आना सम्भावित है

बिन्दु संख्या 64/5.4 :— ईश्वरम्मा शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, जयपुर में वमखुवि का अध्ययन केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ :—

(क्षेत्रीय सेवाए प्रभाग)

—00—

अध्ययन केन्द्र खोले जाने संबंधी विश्वविद्यालय नियमानुसार गठित निरीक्षण दल की अनुशंसा का माननीय कुलपति महोदय से अनुमोदन उपरान्त नियमानुसार वैधानिक निकायों, यथा वित्त समिति, के द्वारा ईश्वरम्मा शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, जयपुर में वमखुविवि का अध्ययन केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया जिस पर वार्षिक खर्च लगभग 90,000/— रू आना सम्भावित है

माननीय सदस्य प्रो. बी. अरूण कुमार ने बताया कि उक्त अध्ययन केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति वैधानिक निकाय से प्राप्त है। अध्ययन केन्द्र संचालन के कारण आने वाले वित्तीय भार के मध्यनजर प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उक्त अध्ययन केन्द्रों के खोले जाने के अनुमोदन पश्चात अध्ययन केन्द्र पर कार्यरत अस्थायी स्टॉफ के मानदेय के पुनरीक्षण एवं कार्यक्रम शुल्क में वृद्धि हेतु अनुशंसा प्रदान करने के लिए निम्न समिति गठित किये जाने का निर्णय किया गया:—

1. प्रो0 बी0 अरूण कुमार,वमखुविवि	संयोजक
2. प्रो0 गोपाल सिंह, कोटा	सदस्य
3. श्री लोकेन्द्र सिंह, कोषाधिकारी या उनके द्वारा नामित	सदस्य
4. नियंत्रक, वित्त, वमखुविवि,कोटा / प्रतिनिधि	सदस्य
5. निदेशक, क्षे0के0, वमखुविवि, कोटा	सदस्य
6. डॉ0 सुरेन्द्र कुलश्रेष्ठ, सहा0 आचार्य अर्थशास्त्र, वमखुवि	सदस्य
7. श्री एच.आर. मेहता, सहा. कुलसचिव लेखा एवं वित्त	सदस्य सचिव

बिन्दु संख्या 64 / 6 :— **<u>क्षेत्रीय केन्द्र, अजमेर कार्यालय हेतु भूमि आवंटन / खरीद किये जाने हेतु प्रस्ताव</u>**

(सम्पदा प्रकोष्ठ)

—00—

क्षेत्रीय केन्द्र, अजमेर के कार्यालय भवन संचालन हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण के माध्यम से शहर में उपयुक्त स्थान पर भूमि आवंटन के क्रम में उपलब्ध भूमि के निरीक्षण हेतु गठित समिति की अनुशंषा दिनांक 24.03.2022 अनुसार पंचशील स्थित भूखण्ड (क्षेत्रफल 4933.50 Sq. YDs.) आवंटन / खरीद हेतु उपयुक्त पाया गया। अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के

आदेश क्रमांक 22790—22800 दिनांक 25.03.2022 द्वारा आरक्षित दरों में वृद्धि करते हुए नवीन आरक्षित दरें तय की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को पंचशील नगर योजना में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के भू—खण्ड संख्या 2 को निशुल्क आवंटन हेतु पत्रांक एफ2/वमखुवि/ सम्पदा/2022/207 दिनांक 30.03.2022 प्रेषित किया गया है। इस सम्बंध में राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। यदि राज्य सरकार से निःशुल्क भूमि के आवंटन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में राशि रूपये 400 लाख का प्रावधान भूमि क्रय हेतु किया जाना प्रस्तावित है।

इस संबंध में माननीय सदस्य श्री लोकेन्द्र सिंह का मत था कि भवन हेतु भूमि क्रय करने की बजाय भवन किराये पर लेना अधिक उचित होगा । इस संबंध में माननीय कुलपति महोदय ने अवगत कराया कि किराये पर उचित भवन मिलने में कठिनाई होती है एवं अजमेर को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रीय केन्द्रों पर विश्वविद्यालय का स्वयं का भवन है। अत अजमेर क्षेत्रीय केन्द्र के लिए भी स्वयं के भवन हेतु भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव लाया गया है।

उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा पश्चात इस पर सहमति व्यक्त की गई कि जहां तक संभव हो निशुल्क या रियायती दरों पर भूमि लेने का प्रयास किया जावे।

यदि राज्य सरकार से निःशुल्क भूमि के आवंटन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में भूमि क्रय हेतु राशि रूपये 400.00 लाख का प्रावधान वित्तिय वर्ष 2022—23 में बजट मद—प्रोविजन फॉर बिल्डीग फण्ड़ के अंतर्गत करने का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 64/7.1 :— **विश्वविद्यालय की आगामी सत्रांत परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का त्वरित मूल्यांकन हेतु राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में केन्द्रीयकृत मूल्यांकन व्यवस्था के तहत अध्ययन केन्द्र के समन्वयक एवं स्टॉफ को अतिरिक्त कार्य आवंटन करने एवं भुगतान हेतु प्रस्ताव :—**

(परीक्षा विभाग)

—00—

विश्वविद्यालय की आगामी सत्रांत परीक्षाओं (दिसम्बर 2021 परीक्षा एवं इससे आगे की परीक्षाओं) की उत्तरपुस्तिकाओं का त्वरित मूल्यांकन हेतु राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में केन्द्रीयकृत मूल्यांकन व्यवस्था के तहत अध्ययन केन्द्र के समन्वयक एवं स्टॉफ को अतिरिक्त कार्य आवंटन करने एवं भुगतान हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ है।

पदनाम	राशि (रूपये)
01 समन्वयक(Coordinator)	20=00 प्रति एक बंडल/बैग
02 मंत्रालियिक कर्मचारी (One ministerial staff)	09=00 प्रति एक बंडल/बैग
03 सहायक कर्मचारी (Class-IV)	06=00 प्रति एक बंडल/बैग

माननीय सदस्य प्रो. बी. अरूण कुमार ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रचलित दरों को ही प्रस्तावित किया गया है।

इस संबंध में माननीय सदस्य डॉ0 जितेन्द्र शर्मा का मत था कि केन्द्रीयकृत मूल्यांकन क्षेत्रीय केन्द्रों पर भी होता है अत राजकीय महाविद्यालयों के साथ क्षेत्रीय केन्द्रों को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए।

तत्पश्चात प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 64/7.2 :– विश्वविद्यालय की आगामी सत्रांत परीक्षाओं(दिसम्बर 2021 परीक्षा एवं इससे आगे की परीक्षाओं) हेतु वीक्षकों को देय वाहन भत्ता(Conveyance Charges) को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के स्थान पर प्रति पारी (Per person per session) के आधार पर भुगतान हेतु प्रस्ताव :–

(क्षेत्रीय सेवाए प्रभाग)

–00–

विश्वविद्यालय की आगामी सत्रांत परीक्षाओं (दिसम्बर 2021 परीक्षा एवं इससे आगे की परीक्षाओं) हेतु वीक्षकों को देय वाहन भत्ता (**Conveyance Charges)** को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के स्थान पर प्रति पारी (Per person per session) के आधार पर भुगतान हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वर्तमान व्यवस्था का कार्यालय आदेश	वर्तमान में दिया जा रहा भुगतान	प्रस्तावित भुगतान
परीक्षा विभाग का कार्यालय क्रमांक 10884 दिनांक 08.05.15 (प्रति संलग्न)	रू 50/– प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	रू 50 /– प्रति व्यक्ति प्रति पारी

प्रस्ताव पर चर्चा की गई। प्रो. बी. अरूण कुमार ने बताया कि अन्य विश्वविद्यालयों में भी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रति पारी के आधार पर वाहन भत्ता दिया जा रहा है। इस पर प्रो. गोपाल सिंह द्वारा परीक्षा समन्वयक, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा से दूरभाष पर जानकारी ली। जिसमें उन्होंने उक्त तथ्य की पुष्टि की।

अतः Conveyance charges प्रति व्यक्ति प्रति पारी (Per person per session) के आधार पर देने का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 64/8 :– विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षाओं मे नियुक्त पर्यवेक्षक लगाये जाने एवं पारिश्रमिक निर्धारण हेतु प्रस्ताव :–

(परीक्षा विभाग)

–00–

यूजीसी डेब विनियम 2020 की पालना मे विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षाओं में नियुक्त पर्यवेक्षक को देय पारिश्रमिक निर्धारण का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

वर्तमान मे दिये जा रहे परिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है–

अ. आर.एस.सी.आई.टी परीक्षा में पर्यवेक्षक को रूपये 500/– प्रतिदिन की दरें से पारिश्रमिक देय है।

ब. सत्रांत परीक्षाओं में निम्न अधिकारी–श्रेणी के लिए पारिश्रमिक की दरें निम्नानुसार है

1. केन्द्राधीक्षक – रू 700/– प्रतिदिन 3 पारी की परीक्षा हेतु एवं वाहन भत्ता रू 50/–
2. अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक (250 विद्यार्थियों से अधिक होने पर) प्रति पारी रू 500/– प्रतिदिन 3 पारी की परीक्षा एवं वाहन भत्ता रू 50/–
3. सहायक केन्द्राधीक्षक रू 400/– प्रतिदिन 3 पारी की परीक्षा हेतु एवं वाहन भत्ता रू 50/–
4. वीक्षक रू 450/– प्रतिदिन 3 पारी की परीक्षा हेतु एवं वाहन भत्ता रू 50/

उपर्युक्त अ एवं ब अन्तर्गत 1–4 प्रावधान मे से कोई भी एक प्रावधान के अनुसार सत्रांत परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र पर पर्यवेक्षक को पारिश्रमिक दिये जाने का निर्धारण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा के पश्चात सत्रांत परीक्षाओं में नियुक्त पर्यवेक्षक को केन्द्राधीक्षक को देय पारिश्रमिक के बराबर पारिश्रमिक दिये जाने का अनुमोदन किया गया।

टेबल एजेण्डा

निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर से प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन हेतु संबंधित संस्था से प्राप्त होने वाली contingency राशि को व्यय करने पर सहमति व्यक्त की गई।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

for approval

27/4/22

(श्री महेश चन्द मीणा)
नियंत्रक वित्त एवं
सचिव, वित्त समिति

माननीय कुलपति महो.

V.M.O.U.